

भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रश्नों को,

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना सहमत हैं।

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन प्रभागिय वनाधिकारी झांसी की संस्कृति के आधार पर प्रस्ताव को वन संरक्षण आयोग निम्न 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की संस्कृति की जाती है।

दिनांक-

16.07.2020

स्थान-

झांसी

हस्ताक्षर
(A.K.SINGH)Conservator of Forest
नाम Bundelkhand Circle

JHANSI (U.P.)

सरकारी मोहर

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र० झांसी
पत्रांक- 169 / 33-1 / दिनांक, झांसी, जुलाई-16- 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।

विषय- जनपद झांसी में एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के कि०मी० संख्या-16 से 27 के मध्य में दायी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन विछाये जाने में प्रभावित 0.6540 हे० सरक्षित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी का पत्रांक-130 / 15-1, दिनांक 10.07.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी के संदर्भित पत्र-130 / 15-1, दिनांक 10.07.2020 द्वारा ऑन लाईन कर समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ ऑन-लाईन एक्नोलेजमेन्ट स्लिप सहित तीन प्रतियों में संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

इस कार्यालय द्वारा भी भाग-3 पर आवश्यक टिप्पणी अंकित कर प्रस्ताव तीन प्रतियों में मूल में सी०डी० सहित ऑन-लाईन डाटा इन्ट्री कर सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- 1. प्रस्ताव तीन प्रतियों में।
2. KML फाईल सी०डी०-3
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी का पत्रांक-130 / 15-1, दिनांक 10.07.2020 की छायाप्रति।

भवदीय

(ए०के०सिंह)

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक

बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पु०सं०- / समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- श्री नरेन्द्र वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, ग्वालियर रोड, झांसी को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय से प्रकरण से भिन्न अधिकारी / कर्मचारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव व पत्र प्राप्त कर नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त कराने एवं प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(ए०के०सिंह)

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक

बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी